उत्तर प्रदेश शासन,
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1
संख्या-6/2018/1545/22-1-2018-17/2003-।
लखनऊ: दिनांक 23 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, निम्नलिखित कारापालों को, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त संस्तुति के आधार पर अधीक्षक कारागार वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0 5400/-के पद पर अस्थायी रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए, 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्रमांक | नाम | चयन वर्ष | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री विष्णुकान्त मिश्रा | 2016-17 | पूर्व से आरक्षित पद के सापेक्ष |
| 2 | श्री अवनेन्द्र नाभ त्रिपाठी | 2017-2018 | ---- |
| 3 | श्री सुरेश कुमार सिंह | 2017-2018 | ---- |

2- यदि कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन है, तो प्रश्नगत पदोन्नति उक्त याचिका/प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।
3- उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।

**संख्या- 6/2018/1545(1)/22-1-2018 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा-अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
7. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।